INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP07064615130742V
Certificate Issued Date	:	12-May-2023 06:51 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14350604/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1435060408608175445979V
Purchased by	:	JITENDRA KUMAR SO RADHESHYAM
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JITENDRA KUMAR SO RADHESHYAM
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	JITENDRA KUMAR SO RADHESHYAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

(घोषणा-पत्र)

मैं / हम ......जितेन्द्र कुमार...... सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ / देते हैं कि :-

(क) मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैं हम अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनाँक .... से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ / रखते हैं

(ख) मैं / हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्हीं रूपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबंधों का जहाँ तक कि यह प्रयोज्य है, बाध्य होने को सहमत हूँ / है।

जितेन्द्र कुमार

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
रायबरेली

(ग)मैं/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसंहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(घ)मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात इस संहितामें वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती हैं

च) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अतिभारित नही है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से उ०प्र० पावर कार्पो०नि०लि० द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनही होगी ।

छ)उपरोक्त कारणोवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन मे प्रयोग होने वाली नियम की सामग्री जिसका पैसा उ०प्र०पा०कार्पो०नि०लि० के खाते मे पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा मे मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नही किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नही होगा ।

(ज)उपभोक्ता को पूर्व से स्थापित परिवर्तक से एल०टी०लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नही लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति मे उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु छूट के अतिरिक्त नियम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नही होगी ।

(झ) मै/हम घोषणा करता/करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नही होता है तो हमारी/स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/आगामी माहों मे खण्डीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड .... रायबरेली से बिल प्राप्त करुँगा/करता रहूँगा तथा उसका भुगतान ससमय करुँगा/करता रहूँगा ।

(ञ)मैं/हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट)मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी बाद की दिनांक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ)मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुप्तिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकरपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोजन या मीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञप्तिधारी का कोई पदाभिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं वचन देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत वितरण संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूँगा।

दिनाँक :

स्थान

गवाहों के ह०

आवेदक के हस्ताक्षर
जितेन्द्र कुमार

अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
रायबरेली

1) अमरनाथ S/o स्व० श्रीरामदेव
ग्राम व पो० आशानन्दपुर
जिला रायबरेली

2) राजेन्द्र कुमार S/o श्री राघवेन्द्र
ग्राम मजगुर पो० [illegible]
रायबरेली